हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/19	वकलाय उप० जांदल प्रा० पत्र का समय चाहते है, शामिल अवसर दिया जाता है पत्रा० दिनांक 19/2/20 को पेश हो। [illegible]	
19/02/20	वकलाय उप०। बदल प्रा० पत्र का समय चाहते है न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है, पत्रा० दिनांक 03/03/2020 को पेश हो। SDO[illegible]	
03/03/20	वकलाय उप० बहस प्रा० पत्र 07 R 11 व 01 R 10(2) तथा समायोजन प्रार्थना पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 07 R 11 व 01 R (10(2) तथा समायोजन प्रा० पत्र आदेश दिनांक 12/3/20 को पेश हो। AC(FT)	
12/03/20	पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रा० पत्र अप्रार्थी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख०नं० 88 रकबा 7-15 बीघा का वादी एवं प्रतिवादी गण खातेदार है तथा वादी द्वारा अन्य खातेदारान के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ वादपत्र के पैरा सं० 13 के पद संख्या 04 में वादग्रस्त आराजी मुआवजा केवल वादी को दिलवाने हेतु डिक्री चाही गई है वादपत्र के पद संख्या 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादकारण के रूप में यह अंकित किया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	…अहकाम की तामी…

प्रति सं: 5-8 द्वारा वादी को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी है जबकि वादग्रस्त आराजी गैर विभाजित सहखातेदारी भूमि है। जिसमें विधि की यह स्पष्ट मान्यता है कि ऐसी भूमियों के संबंध में प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान अधिकार होता है। वादी द्वारा अन्य सहखातेदारान के विरुद्ध घोषणा चाही है लेकिन ऐसी घोषणा के संबंध में कोई युक्तियुक्त वादआधार व वादकारण प्रकट नहीं किया है। साथ ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में मुआवजा राशि वादी को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है लेकिन उक्त अनुतोष को प्रदान करने का क्षेत्राधिकार एवं ऐसे दावे पर विचारण एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 207 की अनुसूची तृतीय में ऐसे किसी अनुतोष को प्रदान करने के लिए न्यायालय हाजा को सक्षम नहीं माना है अतः प्रा. पत्र प्रार्थी सारवान एवं स्वीकार योग्य है।

अतः प्रा. पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 भलीभांति साबित होने, वादी द्वारा युक्तियुक्त वादकारण प्रकट नहीं करने, वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होने तथा वाद राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 207 अनुसूची तृतीय से बाधित होने के कारण स्वीकार करते हुए वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
AC(FT)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.03.13 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: